

लोकअदालत

सत्र-2018

पदस्त सं०:-

आदेश फलक :-

विवाद सं०

102 / 2017 दफा

दं प्र० सं० 107

त्रिमिड पार्षद सं० : निरज कुमार रॉय जुगनू 12

वाद लम्बित अन्तर्गत न्यायालय

सुकुमंडल दादाधिकारी सर मेदिनी कर्म


आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति


वाद की तिथि

9.3.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि दोनों
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतीत होता है । अतः
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।



सदस्य



सदस्य